CONTENTS

INDEX

TITLE	Page(s)
NEP-2020 और स्त्री शिक्षा - **डॉक्टर गुरमीत कौर**	02
माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रावधान - **प्रतिभा तिवारी**	08
ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT FOR CHILDREN IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS - **Rakesh Kumar Keshari**	14
Police & Criminal Justice System in India - **Saba Hashmi**	22
Swayam Portal: Empowering Education through Online Learning - **Mr. Manoj Kumar**	39
प्लास्टिक से पर्यावरण को खतरा, क्या हैं विकल्प - **पुष्पेंद्र कुमार ठाकुर**	51

NEP-2020 और स्त्री शिक्षा

डॉक्टर गुरमीत कौर
असिस्टेंट प्रोफेसर
गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज,यमुनानगर

प्रस्तावना -

"आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं" - पंडित जवाहरलाल नेहरू

जुलाई 2020 में केंद्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई जो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जो जो 29 साल बाद बदली गई। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

बदलते समाज और परिवेश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है क्योंकि सामाजिक विकास और उन्नति में स्त्री की अहम भूमिका होती है । आधुनिक युग में स्त्री, शिक्षा के कारण ही आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी है। स्त्री शिक्षा को एक निश्चित आयाम देने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किए गए और अनेकों योजनाएं चलाई गई जिससे की वह शिक्षित हो सके और समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक उन्नति में योगदान दे सकें परंतु आज भी हमारे देश की स्त्रियों की कुल जनसंख्या में स्त्री की जनसंख्या का आधा हिस्सा अशिक्षित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्त्री शिक्षा व जेंडर शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर किशोरियों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

- जहां जहां विद्यालय अधिक दूरी पर हैं,ग्रामीण अंचलों पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में निशुल्क छात्रावासों का निर्माण और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो।

- भारत सरकार की योजना कस्तूरबा गांधी विद्यालय का सशक्तिकरण सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की किशोरियों का नामांकन बढ़ाने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यालय में 12वीं स्तर तक विस्तार।
- सामाजिक रुप से पिछड़े तथा अल्प प्रतिनिधि समूह की महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था इन पर विशेष ध्यान केंद्रित करके नीति एवं योजनाएं बनाई जाएंगी।
- किशोरियों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर समावेशी फंड की व्यवस्था की जाएगी।
- जेंडर समावेशी कोष राज्यों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे उनको ऐसी नीतियां योजनाओं कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे किशोरियों को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षा पूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके, जैसे- परिसर में किशोरियों के लिए शौचालय,स्वच्छता और सैनिटेशन से संबंधित अन्य सुविधाएं।स्कूल आने जाने के लिए साइकिल,फीस के लिए अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तांतरण ताकि पैसे के लिए उन्हें स्कूल ना छोड़ना पड़े।
- विद्यालयों में सकारात्मक वातावरण सुविधाएं विशेषकर स्वच्छता शौचालय संबंधित एवं सह शिक्षा विद्यालयों से अलग शौचालय आदि सुविधाओं एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाए
- कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण के प्रति सभी शिक्षक जेंडर संवेदनशील होंगे तथा विद्यालय में समावेशी एवं संवेदनशील संस्कृति का निर्माण किया जाए।
- स्कूल में नामांकित सभी बच्चे विशेषकर किशोरियों के साथ जेंडर भेदभाव एवं अन्य मुद्दों जैसे उत्पीड़न तथा उनके अधिकारों के खिलाफ किसी तरह के उल्लंघन पर कुशलतापूर्वक कार्यवाही की जाएगी।
- बालिकाओं के लिए निधि का गठन एक नया कदम है।राज्यों के लिए जेंडर समावेशी कोष उपलब्ध कराया जाएगा
- उच्च शिक्षण संस्थाओं के सभी पहलुओं पर सदस्यों परामर्श दाताओं और विद्यार्थियों को और जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित किया जाएगा।

भारत में भारत में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121, 0854 ,977 करोड़ है जिसमें 5,86, 469 ,174 करोड स्त्रियां हैं। कुल जनसंख्या

में 48.50% की हिस्सेदारी रखने वाली भारतीय महिला की आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता पुरुषों की सहभागिता 51.7% के सापेक्ष मात्र 25.6% है।यदि इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षाकृत प्रयत्नों की आवश्यकता है, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जहां पुरुष साक्षरता दर 84.14% है वहीं स्त्री साक्षरता दर 65.46% है जो कुल साक्षरता दर 74.04 से काफी कम है।

नारी समाज का आधार है और शिक्षित होकर वह समाज को ही नहीं बल्कि देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सुदृढ़ आधार प्रदान कर सकती है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, पी वी संधू और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षा के बलबूते पर ही आज ऊंचे पदों पर आसीन हो पाई है । इसके अलावा सैकड़ों ऐसे नारियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है। कहने का भाव है कि यदि नारी को शिक्षित करने के लिए उचित सुविधाएं और माहौल दिया जाए तो वह समाज में अपनी स्थिति को एक सुदृढ़ आधार प्रदान कर सकती है। ऐसा नहीं है कि NEP 2020 से पहले स्त्री शिक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए बल्कि इससे पहले भी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाए गए, जो निम्नलिखित है-

- **महिला शिक्षा राष्ट्रीय समिति (सन 1958)**

  इस समिति का प्रमुख उद्देश्य लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि , शिक्षा में बाधक प्रारंभिक नियमों की समाप्ति महिला शिक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि माध्यमिक स्तर तक लड़कियों के लिए अलग-अलग शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था आदि

- **स्त्री शिक्षा संबंधित राष्ट्रीय समिति (सन 1958-59)**

  इस समिति ने स्कूल पाठ्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को छिपाए जाने तथा उन्हें पुरुषों से हीन बताए जाने वाले संतुलित दृष्टिकोण को बदलने की बात की।

- **हंसा मेहता समिति (सन 1962)**

1962 में हंसा मेहता समिति ने कहा कि बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए

- **कोठारी कमीशन (सन 1965- 66)**

आयोग ने सुझाव दिया कि स्त्रियों की शिक्षा को प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत रखना चाहिए और उन सभी समस्याओं को समाप्त करना चाहिए जो स्त्रियों की शिक्षा में बाधक हो

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (सन 1965)**

लड़कियों के शिक्षा पर ना केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से बात होनी चाहिए बल्कि इसीलिए भी महत्व दिया जाए कि इससे सामाजिक परिवर्तन को गति मिलती है।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)**
  a. 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्याख्या की जाए।
  b. सभी वर्गों के बालक और बालिकाओं को समान रूप से पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)**

DVSIJMR ISSN NO 2454-7522

महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा गया कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के रूप में किया जाए।

इन नीतियों के अलावा भी सरकार ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कानून लागू किए जिनमें से कुछ निम्नलिखित है:

- सर्व शिक्षा अभियान
- इंदिरा महिला योजना
- राष्ट्रीय महिला कोष
- बालिका समृद्धि योजना
- गांधी बालिका विद्यालय योजना -2004

- यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल
1951	24.9	7.9	16.4
1961	34.9	13.0	24.0
1971	39.5	18.7	29.1
1981	46.9	24.8	36.0
1991	63.86	39.42	51.64
2001	75.8	54.16	64.98
2011	82.1	65.5	73.8
2021	84.7	70.3	77.7

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहां 1951 में 7 पॉइंट 9% महिला साक्षर थी 60 वर्षों के पश्चात 2011 में 65 पॉइंट 5% महिला जनसंख्या ही साक्षर हो सकी है यानी स्त्री शिक्षा में अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है वर्ष 2000 अट्ठारह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लगभग 39 पॉइंट 4 प्रतिशत लड़कियां स्कूली शिक्षा हेतु किसी संस्थान में पंजीकृत नहीं है शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति स्त्री शिक्षा के विषय में अधिक सोचनीय है।

एनएसपी 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल रूप से हो जाता है तो बालिकाओं की शिक्षा के प्रतिशत में अवश्य ही सुधार सुधार सकेगा और बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकेगी जिससे श्री शिक्षित होने के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनकर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

- वार्षिक रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1990
- प्रकाश नारायण नारायणी,महिला समानता के लिए आवश्यक है बालिका शिक्षा 2004 अंक -12
- जैन,कैलाश चंद्र,"भारतीय समाज में शिक्षा"- भारत में नारी शिक्षा की अनिवार्यता
- राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति रिपोर्ट-1958
- राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद -1959
- हंसा मेहता समिति -1962
- शिक्षा आयोग-शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली 1964 -66
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति,नई दिल्ली,शिक्षा विभाग,मानव मंत्रालय, विकास मंत्रालय,भारत, 1986
- उमंग वाणी, छठा संस्करण, वर्ष -4 ,पत्रिका अंक, जुलाई -2022

DVSIJMR
ISSN NO 2454-7522